

बौद्ध महाकाव्यों में राजनीतिक चिन्तन (अगगना सुत्त के विशेष संदर्भ में)

बीज शब्द :

बौद्ध महाकाव्य, धम्म, अगगना सुत्त, राज्य एवं राजा, सामाजिक वर्गीकरण।

बौद्ध धर्म भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का वह मूल्यवान बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक तथा मानवतावादी जीवन पक्ष है जो सम्पूर्ण को आलोकित करता है। बौद्ध महाकाव्य जहां एक तरफ धम्म एवं विश्व शान्ति का सन्देश देता है, वहीं यथार्थवादी चिन्तन को भी बताता है। बौद्ध महाकाव्यों में जीवन की उत्पत्ति, राज्य एवं राजत्व, सामाजिक विभाजन एवं गणतन्त्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का उल्लेख बौद्ध धर्म से सम्बन्धित विभिन्न ग्रन्थों (विशेषतः अगगना सुत्त) का राजनीतिक रूप से विश्लेषण करना है।

डॉ० निधि रानी सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

वी०एम०एल०जी० कॉलेज, गाजियाबाद

ई-मेल: nidhisingh1402@gmail.com

मो०: 9871375635

बौद्ध महाकाव्यों में राजनीतिक चिन्तन (अगगना सुत्त के विशेष संदर्भ में)

बुद्ध ने जो विचार दिये वह वास्तविक रूप से एक सांसारिक धर्म है, इसलिये अनेक विचारकों ने उनके विचारों को विचार की संज्ञा नहीं दी है, परन्तु अन्य विचारक जैसे गेल आदि ने उनको राजनीतिक दार्शनिक माना है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य बौद्ध धर्म से सम्बन्धित विभिन्न ग्रंथों का विशेषतः अगगना सुत्त के अध्ययन के द्वारा महात्मा बुद्ध के विचारों में राजनीतिक पक्षों का विश्लेषण करना है-

बुद्धचरित-बुद्धचरित के रचनाकार अश्वघोष का मानना है कि बौद्ध राजनीतिक प्रवचन हमारी कल्पना से कहीं अधिक विषम है। अश्वघोष ने शुद्धोधन को आदर्श राजा के रूप में रखा है। फिर भी उनमें दोष था कि वह अपने बेटे को धम्म से अधिक प्यार करते थे। अश्वघोष ने बुद्ध का उल्लेख सर्वसिद्ध के रूप में किया है। उनके गुण आदर्श राजा के गुणों से बढ़कर बताया। वह कर्म, निश्चय, पराक्रम, तेजस, आत्मवृत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। परन्तु अपने वर्णन में अश्वघोष ने 'राजत्व के सिद्धान्त' को नकार दिया है और कहा है कि राजत्व एक भ्रम है।

अशोक वादन-अशोकवादन में कहा गया है कि अशोक राजाओं के लिये अधिक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर राजत्व के आदर्श स्वयं अशोक द्वारा प्रदान किये गये हैं। उनके शिलालेखों में उनके विचारों का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है-

1. राजा को धम्म के अनुसार जीवन जीना चाहिये।
2. राजा को मानवता की सेवा करनी चाहिये।
3. राजा को विभिन्न धर्मों के बच सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिये।
4. राजा को धम्म विजय का मार्ग अपनाना चाहिये।
5. राजा को पड़ोसियों के प्रति अहिंसा की नीति का पालन करना चाहिये।

उपरोक्त से यह ज्ञात होता है कि बौद्ध ग्रंथों के राजत्व सिद्धान्त में करुणा पर अत्यधिक जोर दिया गया है।

जातक-बौद्ध धर्म के राजनीतिक विचारों को जानने का एक प्रमुख स्रोत जातक भी है। जातकों में जहाँ बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, वहीं राज्य की उत्पत्ति, राजा, उसके अधिकार एवं कर्तव्य तथा सामाजिक वर्गीकरण पर प्रकाश डाला गया है।

बौद्ध धर्म प्रवर्तक का नाम सिद्धार्थ एवं गोत्र का नाम गौतम बुद्ध था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। उनका जन्म 563 ई0पू0 कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ। सिद्धार्थ का सांसारिक जीवन में मन नहीं लगा और वे आयु के 29 वर्ष में गृह त्याग कर सन्यासी बन गये। इसके बाद उन्होंने उरूवेला में घोर तपस्या की। अन्त में उन्हें गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त सर्वप्रथम वे सारनाथ पहुंचे और अपना प्रथम उपदेश दिया। इसके बाद वे घूम-घूमकर अपने उपदेशों का प्रचार करने लगे। उन्होंने राजगृह, मगध, कपिलवस्तु, सारनाथ आदि विभिन्न स्थानों पर यात्रा की तथा बौद्ध धर्म के विषय में लोगों को जागरूक किया। अविरल धर्म प्रचार के बाद लगभग 80 वर्ष की आयु में 487 ई0पू0 कुशीनगर में इन्हें निवर्ण प्राप्त हो गया।

बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धान्त-बुद्ध के सभी उपदेश व्यावहारिक हैं। इसलिये बौद्ध धर्म जनता में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ। इनके प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं-

चार आर्य सत्य-बुद्ध ने चार आर्य सत्यों को बताया है-(1) दुःख सत्य है, (2) दुःख का हेतु सत्य है (3) दुःख का निरोधक सत्य है (4) दुःख का निरोधगामी मार्ग सत्य है।

अष्टांग मार्ग-तृष्णा के निवारण और दुःखों के विनाश के लिये महात्मा बुद्ध ने 'अष्टांग मार्ग' को बताया है-इस प्रकार सांसारिक दुःखों से मुक्ति प्राप्त करने के आठ नियम बताये हैं- (1) सम्यक दृष्टि (2) सम्यक संकल्प (3) सम्यक वचन (4) सम्यक कर्म (5) सम्यक आजीविका, (6) सम्यक व्यायाम (7) सम्यक स्मृति और (8) सम्यक समाधि।

मध्यमा मार्ग-अविद्या और तृष्णा के नाश या दुःख-निरोध के लिये बताया गया यह आष्टांगिक मार्ग 'मध्यम मार्ग' कहलाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें न तो कठोर तपस्या का विधान किया गया है और न ही अत्याधिक शारीरिक सुख का।

आचरण के दस नियम-बुद्ध ने नैतिक शील पर पर्याप्त बल देते हुए आचरण की दस बातें की हैं।

दार्शनिक उपदेश-महात्मा बुद्ध ने सरल और सुबोध भाषा में जनता को अनेक दार्शनिक उपदेश दिए हैं-

(1) अनीश्वरवाद में अपना विश्वास प्रकट करते हुए बुद्ध ने कहा कि संसार की उत्पत्ति के लिये किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं की है। कार्य-कारण की श्रृंखला से संसार चलता रहता है।

(2) बुद्ध ने अनात्मवाद का विचार जनता के सामने रखा।
(3) बुद्ध ने विश्व के सम्बन्ध में क्षणिकवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि संसार की सभी वस्तुएँ क्षणिक और निरंतर परिवर्तनशील हैं।

(4) अनात्मवाद में आस्था रखते हुए भी बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मान्य किया। लेकिन यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अनित्य अहंकार का था।

अग्न्या सुत्त-बौद्ध परम्परा के समस्त उपदेशों को त्रि-पिटकों के अन्तर्गत रखा गया है। ये तीन पिटक-अभिधम्म पिटक, विनय पिटक एवं सुत्त पिटक कहलाते हैं। इसमें सुत्त पिटक के अन्तर्गत महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया। सुत्त पिटक के अन्तर्गत पांच निकाय आते हैं। इसी के अन्तर्गत दीर्घ निकाय आता है। 'दीर्घ निकाय' बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा ग्रन्थ है। इसके 34 भाग हैं। इसके अन्तर्गत 27 वां भाग ही अग्न्या सुत्त कहलाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के राज्य/समाज की उत्पत्ति, सामाजिक व्यवस्था, राजा के गुण एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।

'अग्न्या' का मतलब होता है 'उत्पत्ति' तथा सुत्त का मतलब व्याख्या या संवाद होता है। इसलिये इस सुत्त में उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अग्न्या सुत्त के प्रथम भाग में बुद्ध द्वारा दो ब्राह्मणों भारद्वाज और बसंठा को दिये गये उपदेश से प्रारम्भ होती है। इन दो ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस पर अन्य ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया तथा जाति से निकाल दिया है। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ब्राह्मणों ने सामाजिक सत्ता में वर्चस्व के लिये बनायी है। जिसके द्वारा वे अपना प्रभुत्व कायम रखते हैं। ब्राह्मणों के इस कथन का महात्मा बुद्ध ने विरोध किया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और शूद्र पैरों से। बुद्ध ने कहा कि जाति के आधार पर नैतिक कार्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति भिक्षुक बन सकता है और अरिहन्त की पदवी पा सकता है। व्यक्ति का स्थान कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। अगर किसी जाति का व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति होगी। लोगों का मूल्यांकन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिये। इसके अतिरिक्त बुद्ध यह साबित करते हैं कि धम्म या सत्य ज्ञान वास्तव में जीवन की सभी चीजों में सबसे अच्छी है।

जीवन की शुरुआत-सुत्त के दूसरे भाग में महात्मा बुद्ध ने बताया

है कि प्रारम्भ में पृथ्वी पर रात और दिन नहीं थे। चारों ओर अंधेरा था। धरती पर सिर्फ पानी द्रव्य था। आगे चलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पानी पर परत जम गयी, उसी परत में कोशिका रूपी जीवों का विकास हुआ। पानी के कम होने के बाद त्वचा मजबूत और मोटी होती चली गयी। फिर मशरूम और कसावा तथा शलजम विकास प्रक्रिया में आये। इसके बाद मौसम और धूप आने लगी जिससे स्त्री-पुरुष की अवधारणा का जन्म हुआ। इसके बाद चावल की उत्पत्ति ने विकासक्रम में तेजी ला दिया। इसके उपरान्त स्त्री एवं पुरुष के सम्बन्धों ने पारिवारिक व्यवस्था की परिपाटी को जन्म दे दिया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त का खण्डन करके राज्य के उत्पत्ति का वैज्ञानिक तथा विकासवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त-इसी सुत्त में महात्मा बुद्ध ने जाति की आवश्यकता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। जो निम्नलिखित हैं-

(1) खटिया या क्षत्रिय जाति-चावल के पैदावार अधिक होने से बुराई और लालच शुरू हो गया। इस अव्यवस्था को रोकने के लिये एक बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसे 'महा सम्मत' का नाम दिया गया, उन्होंने उसे दूसरा नाम दिया 'खटिया' अर्थात् चावल की खेती का भगवान और तीसरा नाम 'राजा' दिया।

(2) ब्राह्मण जाति-इसके बाद वे लोग जो बुराई और अपवित्र चीजों को त्याग कर मोह माया छोड़कर जंगलों में चले गये और ध्यान लगाने लगे। उन्हें जयंता या ज्ञायका कहना शुरू किया।

(3) वेस्सा या वैश्य (व्यापारी) और सुड्डा या शूद्र (शिकारी)-जो लोग परिवार या कस्बों में बसे थे, उनमें से कुछ लोगों ने अलग-अलग व्यवसाय करना शुरू कर दिया। इनमें से शेष लोगों ने अपनी निर्भरता शिकार पर रखी। सुड्डा (शूद्र) जाति का अर्थ है, वे लोग जो शिकार पर निर्भर हों।

इस प्रकार बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण, खटिया वेस्सा या सुड्डा सभी जातियाँ कर्म से उत्पन्न होती हैं न कि जन्म या ब्रह्मा के मुख से।

राज्य या राजा सम्बन्धी विचार-जीवन और जाति व्यवस्था के वर्णन के उपरान्त अग्न्या सुत्त के तीसरे भाग में राजा से सम्बन्धित विचार भी दिये गये हैं। इसमें राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धान्त की व्यवस्था की गयी। राज्य की उत्पत्ति-बुराई और लालच की उत्पत्ति के कारण जब अव्यवस्था फैल गयी तो लोगों ने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से

समझौता किया और उसे बदले में 1/6 भाग चावल देने की बात की गयी। इसके बदले राजा या महा सम्मत को लोगों को सजा देने का कार्य सौंपा गया, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे।

राज्य की प्रकृति-राज्य की सात प्रकृतियों को बताया गया है। ये सात रत्न या सात अंग बताये गये हैं-चक्रा रत्न, हाथ रत्न, अस्सा रत्न, परिनायक रत्न, इधिरत्ना, मणिरत्न, गह पतिरत्न।

राज्य की एक संप्रभु इकाई के रूप में पेश किया गया है। सम्प्रभुता को अना-आदेश देने की क्षमता, अधिपक्का-दूसरों पर श्रेष्ठता प्राप्त करने का गुण, इस्सारिया-अत्यधिक प्रभाव रखने वाला गुण, सिरी-भौतिक समृद्धि पर आधारित है, वरना आदि विशेषताओं से युक्त बताया है। यद्यपि अग्न्या सुत में राजतंत्रीय व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। फिर भी उस समय अनेक गणराज्य जैसे-शाक्य, वज्जी, लिच्छवी भी मौजूद थे।

इस रूप में राज्य अनिवार्य रूप से शासी और शासित के मध्य आपसी समझौता है। एक तरफ लोगों को शाही सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अपराधियों को सजा मिलेगी वहीं राजा को कर के रूप में 1/6 भाग चावल प्राप्त होगा। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष अपने निर्धारित कार्य को नहीं करता है तो समझौता टूट जाता है।

निष्कर्ष-उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बौद्ध महाकाव्यों में जहाँ धार्मिक उपदेशों को समाहित किया गया है, वहीं राज्य से सम्बन्धित विचार भी दृष्टिगोचर होते हैं। राज्य की उत्पत्ति का बौद्ध सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त के इतिहास में एक महान प्राचीन भारतीय योगदान है। यह राज्य के प्रचलित दैवीय सिद्धान्त और दैवीय रूप से निर्धारित पदानुक्रमिक सामाजिक व्यवस्था का खण्डन करता है। इसके साथ ही यह राजा के विभिन्न कर्तव्यों का भी वर्णन करता है जिससे राजा लोक कल्याण के कार्य में रत रहे। इसके साथ ही यह प्रजा के दायित्वों को भी परिभाषित करता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य का बौद्ध सिद्धान्त एक तरह का लोकतांत्रिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार शासक को जनता द्वारा चुना जाता है और उसे वापस बुलाया जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धान्त भले ही आज वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता परन्तु उस समय इस तरह का विचार जीवन के सम्बन्ध में एक नई रोशनी की तरह है। इसके अतिरिक्त 6वीं शताब्दी

में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खण्डन कर समाज को समानता के सिद्धान्त से अवगत कराना भी बौद्ध चिन्तन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

संदर्भ सूची

1. प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, लेखक-विमल चन्द्र पाण्डेय, सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस।
2. भारत में बौद्ध निकायों का इतिहास मनीषा वाकडे हिरेखान, भारत भारती प्रकाशन।
3. www.allresearchjournal.com
4. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन, एस0सी0 सिंघल, लक्ष्मी नारायण प्रकाशन।
4. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन, एस0सी0 सिंघल, लक्ष्मी नारायण प्रकाशन।
5. <https://countercurrents.org/2021/02/buddhist-Political-theory-social-contract-theory-of-the-origin-of-state>.
- 6- <https://egsmantra.in/egagana-sutta-ke-rajnitik-vichare>